



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 22.09.2023

थाना शमसाबाद पुलिस जन सहयोग से मोबाईल चोरी करते हुए अभियुक्त नाजिम पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम कलुआपुर सानी थाना शमसाबाद को पकड़ा गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराव आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक- 22.09.2023 को मोबाईल चोरी करते समय अभियुक्त नाजिम पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम कलुआपुर सानी थाना शमसाबाद को पकड़ कर आवश्यक विधिक कार्यावाही की जा रही है।



थाना शमसाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 236/23 धारा 457/380/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त नाजिम पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम कलुआपुर सानी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ को आज दिनांक 22.09.2023 को वादी मुकदमा श्री इजहार हसन पुत्र अली हसन निवासी ग्राम कलुआपुर सानी थाना शमसाबाद द्वारा मय चोरी किये गये मोबाईल के थाना हाजा लाकर पुलिस को किया गया सुपुर्द । अभियुक्त व मोबाईल को नियमानुसार कब्जा पुलिस लिया गया । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिनांक 22.09.2023 को इजहार हसन पुत्र अली हसन निवासी कलुआपुर सानी के घर से मोबाईल चोरी की घटना कारित करना बताया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. नाजिम पुत्र इद्रीश निवासी ग्राम कलुआपुर सानी थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण :-

1. 01 अदद मोबाइल (VIVO कम्पनी)

अभियुक्त नाजिम का आपराधिक इतिहास :-

1. मु0अ0सं0 236/23 धारा 457/380/411 भादवि थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ ।
2. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम व जन सहयोग

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

कोतवाली कायमगंज पुलिस/सर्विलांस/एसओजी टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित 15000-15000 रूप0 के वांछित इनामिया अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सोहराब आलम के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली कायमगंज पुलिस/सर्विलांस/एसओजी टीम द्वारा थाना कम्पिल में मु0अ0सं0-171/23 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में 15000-15000 रूप0 के वांछित इनामिया अभियुक्तगण 1. आमिर पुत्र नन्हे खाँ 2. राजू पुत्र मेंहदी हसन निवासीगण रायपुर खास कोतवाली कायमगंज, जनपद फतेहगढ़ को दिनांक 22.09.2023 को मुखविर की सूचना पर समय करीब 06.15 बजे कायमगंज कम्पिल रोड रायपुर खास सडक तिराहे के पास कोतवाली कायमगंज से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



अभियुक्त आमिर (गैंग लीडर) द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपनी तथा अपने परिवार वालों के अवैध आर्थिक लाभ हेतु गौवध कर गौ वंश का मांस बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते थे, जिससे आमजन मानस में काफी अक्रोश व्याप्त था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. आमिर पुत्र नन्हे खाँ (गैंग लीडर) निवासी रायपुर खास कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
2. राजू पुत्र मेंहदी हसन (गैंग सदस्य) नि० रायपुर खास कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ में बताया कि साहब शाहिद नबी पुत्र मो० नबी नि० ग्राम कटिया थाना कम्पिल जनपद फर्रुखाबाद (पहले से जेल) के बहकावे में आकर हम लोग आर्थिक लाभ हेतु गौवधकर गौवंश का मांस बेचकर अवैध रूप से आर्थिक लाभ अर्जित करते थे, पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से हम लोग भागे हुए थे। आज हम लोग घर जा रहे थे, कि आपने हम लोगों को पकड़ लिया।

अभियुक्त आमिर(गैंग लीडर) का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 22/23 धारा 3,5,8 गोवध निवारण अधि०, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं०- 100/22 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ.सं०- 168/22 धारा 354(ख),452,323,504 भादवि०, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
4. मु०अ०सं०- 171/23 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
5. मु०अ०सं० -209/21 धारा 3,5,8 गोवध निवारण अधि०, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त राजू (गैंग सदस्य) का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 22/23 धारा 3,5,8 गोवध निवारण अधि०, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।
2. मु०अ०सं- 0314/21 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट, थाना कोतवाली कायमगंज जनपद फतेहगढ़।
3. मु०अ०सं- 171/23 धारा 3(1) गैंग स्टर एक्ट, थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

कोतवाली कायमगंज पुलिस टीम:

1. प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश पाल
2. उ०नि० शिव कुमार
3. का० रोहित कुमार
4. का० मनोज कुमार
- 4- का० मनोज कुमार

एस0ओ0जी0 टीम

1. एसओजी प्रभारी निरीक्षक श्री अमित गंगवार
2. हे0का0 अजीत गौतम
3. हे0का0 प्रवीण कुमार
4. का0 सचिन कुमार
5. का0 रामू यादव

सर्विलांश टीम

1. हे0का0 करण यादव
2. हे0का0 अनुराग कुमार
3. हे0का0 सन्दीप राव
4. हे0का0 अजय कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।







Pataunja, Uttar Pradesh, India
7H23+MH6, MDR9W, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.25174°
Long 79.554056°
22/09/23 17:37 GMT +05:30

Google

GPS Map Camera

